मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली

संख्या सी-11/26/2/2009-सतर्कता   दिनांक   /10/2009

सेवा में,
1. सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय।
2. सभी क.रा.बी. मॉडल अस्पतालों/क.रा.बी. अस्पतालों के निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक।
3. सभी वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त ।

विषय :- 3/11/09 से 7/11/09 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाना ।

महोदय/महोदया,

आपको विदित है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाते आ रहे हैं । केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने पत्र संख्या 009/वी.जी.एल./049, दिनांक 23/9/09 में यह निर्णय किया है कि इस वर्ष भी 3/11/09 से 7/11/09 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाए । आयोग के उपर्युक्त पत्र की अनुलग्नक सहित प्रति इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसरण में क.रा.बी. निगम में 3/11/09 से 7/11/09 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय किया गया है । पिछले वर्ष की तरह ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह में निम्नलिखित कार्रवाई की जाए :-

1. 3/11/09 को प्रात: 11 बजे निगम के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा 'शपथ' ली जायेगी । उस अवसर पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाई जायेगी । शपथ-पाठ आयोग के दिनांक 23/9/09 के पत्र के साथ संलग्न किया गया है ।

2. यदि मुख्यालय के माध्यम से केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का कोई संदेश प्राप्त हो तो शपथ ग्रहण के पश्चात् उसे पढ़कर सुनाया जाए । यदि मुख्य सतर्कता आयोग से कोई संदेश प्राप्त होगा तो उसे यथासमय सभी कार्यालयों को भेज दिया जाएगा ।

3. उपयुक्त स्लोगन लिखवाकर बैनर, पोस्टर आदि कार्यालय के सहज सुलभ स्थानों पर लगाए जाएँ । कुछेक स्लोगन जो लिखे जा सकते हैं अनुबंध 'क' में हैं । तथापि इस संबंध में कार्यालयाध्यक्ष आदि नए, आकर्षक और उपयुक्त स्लोगन इनमें शामिल कर सकते हैं । बैनर, पोस्टर आदि साधारण स्लोगन या अभिरेखण हिंदी-अंगरेजी तथा क्षेत्रीय भाषा में हों । इन्हें क्षेत्रीय /उप क्षेत्रीय कार्यालयों आदि द्वारा स्थानीय स्तर पर छपावाकर 'शाखा कार्यालयों' 'कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों' और अस्पतालों, वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त तथा राज्य चिकित्सा आयुक्तों को वितरित किया जाए ।

4. राज्य/क्षेत्र/उप क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बैठकें, संगोष्ठियां, वाद-विवाद, व्याख्यान आदि आयोजित किए जाएँ। इनमें कर्मचारी व नियोजक प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकारी संगठनों को बुलाया जा सकता है। निगम मुख्यालय के अधिकारी कुछ क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय प्रतिभागियों को संबोधित करने के लिए प्रबुद्ध व्यक्तियों, क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों, अन्य सरकारी कार्यालय से अधिकारियों को आमंत्रित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि संबोधन के विषय इस प्रकार होने चाहिए - ग्राहक अभिमुखी कार्यक्रमों में निपुणता तथा पारदर्शिता, हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के प्रयोक्ताओं में जारूकता पैदा करना ,प्रणाली एवं प्रक्रिया में सुधार के लिए किए गए प्रयास, शिकायत निपटान हेतु तंत्र तथा शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध उपाय ।

5. प्रौद्योगिकी प्रभाव द्वारा निवारक सतर्कता की भूमिका का प्रचार करने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का प्रयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिऍं । इस उद्देश्य के लिए सेवा प्रदान करने के स्थल पर सभी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए समकालिक किया जाए, जैसे विक्रेता, पूर्तिकर्ता आदि को ई-भुगतान करना, वेबसाइट पर निविदाओं का पूर्ण विवरण प्रकाशित करना, ई- प्रापण, रिवर्स ऑक्शन तथा नागरिकों/जनता आदि को आवेदनों की स्थिति की सूचना दी जाए ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन पूरा होने के पश्चात् एक विस्तृत रिपोर्ट, आवश्यक कार्रवाई के लिए अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 20 नवम्बर 2009 तक अवश्य भेजी जाए ताकि मुख्यालय 1/12/09 तक अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज सके ।

कृपया पावती भेजें ।

भवदीय

(ए. के. सिन्हा)
निदेशक (सतर्कता)

प्रतिलिपि:-

1. सभी आंचलिक सतर्कता अधिकारी/संयुक्त निदेशक (विभागीय जांच)
2. संयुक्त निदेशक (स्था.-5), मुख्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए।

~~संयुक्त~~ निदेशक (सतर्कता)

कुमुद/अनु .फो./पेज-73

स्लोगन

1. हितलाभाधिकारियों के अधिकार अंशदान के एवज में हैं - न कि रिश्वत में।

2. 'भ्रष्टाचार' गरीब विरोधी और राष्ट्र विरोधी है।

3. रिश्वत न दें। यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कोई रिश्वत मांगता है तो निम्नलिखित में से किसी एक को लिखें :-

(1)

श्री एस. के. श्रीवास्तव
महानिदेशक
क.रा.बी.निगम
सी.आई.जी.मार्ग
नई दिल्ली-2

(2)

श्री ए. के. सिंह, आई.एफ.एस.
मुख्य सतर्कता अधिकारी
क.रा.बी.निगम
सी.आई.जी.मार्ग
नई दिल्ली-2

(3)

श्री प्रत्यूष सिन्हा
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
'ए' ब्लाक, सतर्कता भवन,
जी.पी.ओ.परिसर
आई.एन.ए.नई दिल्ली-23

4. विलम्ब ही भ्रष्टाचार का जनक है। विलम्ब न होने दें।

5. दक्षता में थोड़ी कमी या लापरवाही तो सहन की जा सकती है परन्तु सत्यनिष्ठा से समझौता नहीं किया जा सकता।

6. सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भयमुक्त संरक्षक और भ्रष्ट अधिकारी के लिए आंतक का पर्याय बनने दें।

-लाल बहादुर शास्त्री

7. सही ढंग से अर्जित धन फलता-फूलता है, जो इसे भ्रष्ट तरीकों से अर्जित करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं।

8. खुशहाल भविष्य ईमानदार व्यक्ति की प्रतीक्षा करता है और भ्रष्ट को भूतकाल में अंकित करता है।

9. प्रत्येक भ्रष्टाचारी के पीछे लोभी परिवार का हाथ होता है।

10. ईमानदार व्यक्ति ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है।

- एलेक्ज़ेंडर पोप

11. ऐसा न करें जो आप पकड़े जाने पर नहीं कर सकते हैं।

-लेह आरेन्डट

12. भ्रष्टाचारी के अनेक मालिक होते हैं जबकि ईमानदार व्यक्ति किसी का सेवक नहीं होता।

13. कर्म करें, कर्म करने के लिए प्रतीक्षा न करें।

14. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का एक माध्यम भ्रष्टाचार को सहायता देने वालों पर नियंत्रण रखना है।

-केन्द्रीय सतर्कता आयोग

15. गोपनीयता से भ्रष्टाचार पनपता है।

16. जब सतर्कता संबंधी जागरुकता आयेगी तो क्या भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।

17. इस भू-मंडल पर प्रत्येक की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है परन्तु उनकी लालच के लिए नहीं।

-महात्मा गांधी

18. सत्य सदैव सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी का फलदायी होती है।

19. इंसान वही है जिसका अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण हो।

(टिप्पणी : क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय इस अवसर पर नए समुचित और उपयुक्त स्लोगन तैयार कर सकते हैं और इनमें शामिल भी कर सकते हैं।)

009/VGL/049
Government of India
Central Vigilance Commission
*****

Satarkta Bhawan, Block-'A',
GPO Complex, INA,
New Delhi-110023
Dated the 23rd September 09

Subject: Observance of Vigilance Awareness Week – 2009.

The Central Vigilance Commission has decided that this year, the Vigilance Awareness Week would be observed by all the organizations, falling within the advisory jurisdiction of the Commission, from **November 3 to November 7, 2009**. The observance of the Vigilance Awareness Week should commence with the pledge (copy enclosed) on November 3, 2009 at 11.00 a.m.

2. The Commission is of the view that evolving and effectively implementing preventive techniques is the most important aspect of vigilance administration which includes transparency, accountability, fair-play, objectivity and timely response in dealing with matters relating to public administration. Vigilance Awareness Week should be used as a occasion to highlight awareness about effective preventive measures undertaken through system improvements and use of information technology to fight corruption.

3. The Commission has been strongly emphasising the role of preventive vigilance for quite some time through leveraging of technology by all Organisations/Departments in respect of all areas of functions. Towards this objective, all system and processes in place for deliverance of services are to be synchronised through use of technology like effecting e-payments to vendors, suppliers etc., publishing complete details of tenders on websites, e-procurement, reverse auction and providing information of status of applications to citizens/public etc. The initiatives taken in this regard by each Organisation/Department should be widely publicised during the Vigilance Awareness Week.

4. A report about the manner in which the Week was observed may be sent to the Central Vigilance Commission by December 1, 2009, by each organization.

5. This notification is also available on the Commission's website at **http://cvc.nic.in**.

(K.S. Ramasubban)
Secretary

To

(i) The Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India
(ii) The Chief Secretaries of all States/Union Territories
(iii) The Comptroller & Auditor General of India
(iv) The Chairman, Union Public Service Commission
(v) Chief Executives of all PSUs/Banks/Organizations
(vi) All Chief Vigilance Officers in Ministries/Departments/PSEs/Public Sector Banks/Insurance Companies/Autonomous Organizations/ Societies

PLEDGE

WE, THE PUBLIC SERVANTS OF INDIA, DO HEREBY SOLEMNLY PLEDGE THAT WE SHALL CONTINUOUSLY STRIVE TO BRING ABOUT INTEGRITY AND TRANSPARENCY IN ALL SPHERES OF OUR ACTIVITIES. WE ALSO PLEDGE THAT WE SHALL WORK UNSTINTINGLY FOR ERADICATION OF CORRUPTION IN ALL SPHERES OF LIFE. WE SHALL REMAIN VIGILANT AND WORK TOWARDS THE GROWTH AND REPUTATION OF OUR ORGANISATION. THROUGH OUR COLLECTIVE EFFORTS, WE SHALL BRING PRIDE TO OUR ORGANISATIONS AND PROVIDE VALUE BASED SERVICE TO OUR COUNTRYMEN. WE SHALL DO OUR DUTY CONSCIENTIOUSLY AND ACT WITHOUT FEAR OR FAVOUR.

प्रतिज्ञा

हम, भारत के लोक सेवक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।